# FIRST INFORMATION REPORT
## (Under Section 154 Cr.P.C.)

# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत )

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2019

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/09/2019 22:19 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | IPC 1860 | 166 |
| 2 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 3 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(d)(iii) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

**Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/09/2019 **Time (समय):** 22:19 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/09/2019 22:19 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

**(b) Address (पता):** गांव अगंनपुर,

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक त्रिभवन नारायण

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | Present Address | राज्य चौकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | राज्य चौकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

**7.** **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | के0के0अमरौही तत्तकालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी | | | 1. रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA |
| 2 | रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी गुडगावा | | | 1. गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA |

**8.** **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

**9.** **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**10.** **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

**11.** **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|---|---|

**12.** **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक अफसर थाना रा0चौ0ब्यूरो,फरीदाबाद श्रीमान जी निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 05 दिनांक 02.11.2015 फरीदाबाद की पडताल श्री रत्नदीप बाली उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो,फरीदाबाद द्वारा अमल में लाई गई थी जिसमें आरोप न0 1 यह था कि निदेशक चकबन्दी ने दिनांक 11.01.15 द्वारा जारी आदेशनुसार निर्देश दिये थे कि एक्ट अनुसार कार्यवाही की जाये खाताजात अलग करने बारे कोई आदेश नही थे । जिस पर श्री के0के0 अमरोही बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी रोहतक (सेवानिबृत ) ने केस न0 3/2005 महिपाल बनाम चकबन्दी विभाग फैसला तिथि 19.01.2005, केस न0 434/2005 हेमन्त शर्मा बनाम गजराज सिह आदि फैसला दिनांक 30.10.2005 ,केस न0 2/2005 OP Association बनाम चकबन्दी विभाग फैसला दिनांक 28.01.2005 केस न0 4/2005 अमित पुजारी व ओमप्रकाश बनाम चकबन्दी विभाग फैसला तिथि 20.01.2005 को गलत निति अपनाकर निर्णय किया है । जिसमे चकबन्दी विभाग को गलत पार्टी बनाया गया जबकि किसी भी गांव में चकबन्दी विभाग कि कोई भूमि ही नही होती है फैसला में स्वय के0 के0 अमरोही बन्दोस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक सेवानिवृत ने पुनः धारा 43A कि शक्तियो का प्रयोग करते हुये 25 खेबटो को अलग- अलग करने की स्वीकृति प्रदान करके रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी गुडगांवा को खाता अलग करने बारे आदेश दिये थे जबकि ऐसी शक्तिया के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक व रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी गुडगांवा को प्रदतः ही नही थी । ऐसा करके के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक ने अपने अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर शक्तियो का दुरुपयोग किया है । यदि खेबट अलग करनी थी तो प्रार्थीगण को तरीका अनुसार अधीन धारा 42 में चाराजोही करनी चाहिये थी इस आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि बाहद रकबा गांव अनंगपुर की स्कीम चकबन्दी 30.01.2004 को मंजूर हुई थी । निदेशक चकबन्दी ने दिनांक 11.01.2005 द्वारा जारी आदेशनुसार निर्देश दिये थे कि एक्ट अनुसार कार्यवाही की जाये । खाता जात अलग करने बारे कोई आदेश नही थे जिस पर श्री के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने केस न0 3/2005 महिपाल बनाम चकबन्दी विभाग फैसला तिथि 19.01.2005 केस न0 434/2005 हेमन्त शर्मा बनाम गजराज सिह आदि फैसला दिनांक 30.01.2005 केस न0 2/2005 OP Association बनाम चकबन्दी विभाग फैसला दिनांक 28.01.2005 तथा केस न0 4/2005 अमित पुजारी व ओमप्रकाश बनाम चकबन्दी विभाग फैसला तिथि 28.01.2005 को गलत निति अपनाकर निर्णय किया है । फैसला में स्वंय के0के0अमरोही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक द्वारा पुनः धारा 43A, की शक्तियो का प्रयोग करते हुये 25 खेवटो को अलग अलग करने की स्वीकृति प्रदान करके रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी गुडगांवा को खाता अलग करने बारे आदेश दिये गये थे । जबकि ऐसी शक्तियां के0के0 अमरोही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक व रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी गुडगावा को प्रदतःही नही थी । ऐसा करके के0के0 अमरोही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बहार जाकर शक्तियो का दुरुपयोग किया है । यदि खेवट अलग करनी थी तो प्रार्थीगण को तरीका अनुसार अधीन धारा 42 में चाराजोही करनी चाहिए थी । जो श्री के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक ने अपने पद से बाहर शक्तियो का दुरुपयोग करके अपराधिक कृत्य किया है आरोप नम्बर 2 यह था कि इस गांव कि स्कीम चकबन्दी 30.01.2004 को मंजूर हुई थी । स्वीकृत स्कीम चकबन्दी के पश्चात लगभग 250 इंतकालो की मंजूरी के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक द्वारा दी गई थी जबकि उनको ऐसे इंतकालात मंजूर करने बारे स्वीकृति देने कि शक्तिया चकबन्दी एक्ट में प्रदतः नही है । चकबन्दी स्कीम स्वीकृत होने के बाद नई तकसीम रकबा का रिकार्ड तैयार किया जाता है और रिकार्ड से खेवट व खाते समाप्त हो जाते है । सुमार नम्बरो पर कोई भी इंतकाल मंजूर नही किया जा सकता इसलिए चकबन्दी एक्ट की उलघंना की गई है । इस आरोप की जांच की पडताल के दौरान पाया गया कि गांव की स्कीम चकबन्दी 30.01.2004 को मंजूर हुई थी । स्वीकृत स्कीम चकबन्दी के पश्चात लगभग 250 इंकालो की मंजूर के0के0 अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक द्वारा दी गई थी । जबकि उनको ऐसे इंतकालात मंजूर करने बारे स्वीकृति देने की शक्तिया चकबन्दी प्रदतः नही है । चकबन्दी स्कीम स्वीकृत होने के बाद नई तकसीम रकबा का रिकार्ड तैयार किया जाता है और रिकार्ड से खेवट व खाते समाप्त हो जाते है । सुमार नम्बरो पर कोई भी इंतकाल मंजूर नही किया जा सकता । इस प्रकार चकबन्दी एक्ट की उलघंना की गई है । तत्कालीन पटवारी श्री मौहम्मद हुसैन ने उपरोक्त इंतकालो को दर्ज किया है । तथा श्री सतबीर सिंह कानूनगो ने इंतकालो का मुकाबला किया है । तथा श्री रौशन लाल सहायक चकबन्दी अधिकारी ने उपरोक्त इंतकालो को मंजूर किया है । जो श्री के0के0अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक (सेवानिवृत ) ने अपने शक्तियो से बहार जाकर स्कीम चकबन्दी शुरु होने के बाद इंतकाल दर्ज करने के आदेश देकर अपराधिक कृत्य किया है । इसके अलावा आरोप नम्बर 3 यह था कि तकसीम रकबा से पूर्व स्कीम चकबन्दी के प्रावधान अनुसार प्रत्येक हकदार की रिकार्ड के अनुसार पुरानी कास्त को आधार मानकर उनका मेजर पोरशन तैयार किया जाता है ।

जिसके अनुसार नये रकबा कि तकसीम भू-स्वामी के हक अनुसार कि जाती है । परन्तु बन्दोबस्त अधिकारी रोहतक श्री अमरौही ने स्टाफ चकबन्दी को आदेश दिये थे कि इस गांव का रकबा उबड-खाबड नहरे नाले व खदानो का है । इसलिए मेजर पोरशन (गठवार रजिस्टर) बनाने की आवश्यकता नही है इसलिए बिना गठवार के रकबा तकसीम किया जाये जबकि चकबन्दी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि बिना मेजर पोरशन के रकबा तकसीम किया जाये । रकबा तकसीम के बाद गठवार बनाये गये थे जो उचित नही थे इस आरोप के पडताल के दौरान पाया गया कि तकसीम रकबा से पूर्व स्कीम चकबन्दी के प्रावधान अनुसार प्रत्येक हकदार कि रिकार्ड के अनुसार पुरानी कास्त को आधार मानकर उनका मेजर पोरशन तैयार किया जाता है । जिसके अनुसार नये रकबा तकसीम भू-स्वामि के हक अनुसार कि जाती है । परन्तु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक श्री के0के0अमरौही ने स्टाफ चकबन्दी को आदेश दिये थे कि इस गांव का रकबा उबड-खाबड नहरे नाले व खदानो का है । इसलिए मेजर पोरशन (गठवार रजिस्टर) बनाने की आवश्यकता नही है बिना गठवार के रकबा तकसीम किया जाये चकबन्दी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि बिना मेजर पोरशन के रकबा तकसीम किया जाये । अब रकबा तकसीम के बाद गठवार बनाये गये थे जो उचित नही थे श्री के0के0अमरौही ने अपने पद की शक्तियो से बहार शक्तियो का उपयोग करते हुये बिना मेजर पोरशन के तकसीम करने के आदेश देकर तकसीम से पहले गठवार ना बना कर कानून की अवहेलना करके अपराधिक कृत्य किया है । जांच कार्य पूर्ण होने पश्चात रिपोर्ट प्रतिवादियो के विरुद्ध भेजी गई थी इसके पश्चात अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 31/01/2015-4चौ0 (II) दिनांक 13.03.2019 के अनुसार विषयोक्त मामले में प्रशाशकिय विभाग (राजस्व आपदा प्रबन्धन ) द्वारा श्री के0के0अमरौही तत्तकालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक हाल जिला राजस्व अधिकारी (सेवानिवृत) के विरुद आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया है । इन आदेशो की पालना करते हुये महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 4764/आई-2 रा0चौ0ब्यूरो (ह०) दिनांक 22.03.2019 के अनुसार पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद में श्री के0के0अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी रोहतक (सेवानिवृत) के बिरुद अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये जिस पर कानूनी पताजोही करने के उपरान्त आरोपी  के0के0अमरौही बन्दोबस्त अधिकारी रोहतक (सेवानिवृत) के बिरुद अपराध धाराधीन 166 भा0द0स0 व 13 (1)डी (3) व 13 (2) पी सी एक्ट 1988 के अभियोग अकिंत करने के तहरीर प्रस्तुत है प्रथम सूचना की प्रतिया ईलाका मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित अफसरान बाला कि सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे । अभियोग का आग्रामी अनुसन्धान पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद के आदेशनुसार श्री विजयपाल ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद को सोपा जावे प्राप्त जांच रिकार्ड साथ सलग्न है । sd. निरीक्षक त्रिभवन नारायण राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद दिनांक 19.09.19 समय 9.20 PM अज थाना:- इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त सिपाही बृजपाल न0 438/पलवल के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित त्रिभवन नारायण थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद बर खिलाफ श्री के0के0अमरौही तत्तकालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रोहतक हाल जिला राजस्व अधिकारी (सेवानिवृत) वावत  अपने पद की शक्तियो से बहार शक्तियो का उपयोग करते हुये बिना मेजर पोरशन के तकसीम करने के आदेश देकर तकसीम से पहले गठवार ना बना कर कानून की अवहेलना करके अपराधिक कृत्य करने बारे प्राप्त होने पर मु0 न0 5 दिनांक 19.09.19. धारा 166 भा0द0स0 व 13 (1)डी (3) व 13 (2) पी सी एक्ट 1988 दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया कम्पूटर से तैयार कि गई ।  जो मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट कि श्रेणी मे आने पर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही बृजपाल न0 438/पलवल के अफसरान बालान व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब कि सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आगामी कार्यावाही हेतू श्री विजयपाल उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद के हवाले की जायेगी । नोट:- यह FIR श्री विजयपाल उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद की हाजरी मे दर्ज की गई है ।

**13.** **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
**(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

**(1)**

**Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or ( या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Vijay Pal **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

**No. (सं.):** HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C.**
**(आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station**
**(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** Nitika Gahlaut

**Rank (पद):** Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

**No. (सं.):** IPS

**14.** **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

**15.** **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.